इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 25, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-522-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग को दिनांक 15 से 23 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कमिश्नर, भोपाल/नर्मदापुरम संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-326-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. सिंघई, आयएएस., अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2011 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10, 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सिंघई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. सिंघई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सिंघई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-764-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, आयएएस., कलेक्टर, जिला बालाघाट को दिनांक 26 दिसम्बर 2011 से 4 जनवरी 2012 तक, दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल की अवकाश अवधि में श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला बालाघाट का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. किरण गोपाल, कलेक्टर, जिला बालाघाट के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-666-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. व्ही. एस. निरंजन, आयएएस., आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 12 से 20 दिसम्बर 2011 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उच्च शिक्षा एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. व्ही. एस. निरंजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. व्ही. एस. निरंजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर 2011 से दिनांक 2 नवम्बर 2011 तक दस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष रस्तोगी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष रस्तोगी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष रस्तोगी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2011 द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर

से 1 नवम्बर 2011 तक, चार दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऊषा परमार अवर सचिव ''कार्मिक''.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ. ए. 5-30-2011-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री एम.ए. सिद्दीकी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दि. 10 अक्टूबर, 2011 से 21 अक्टूबर, 2011 तक.	12 दिन	कम्युटेड अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अक्टूबर 2011 से दिनांक 9 अक्टूबर, 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. ए. 5-16-2010-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अनिल कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ.क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दि. 24 सितम्बर 2011 से 26 सितम्बर 2011 तक.	3 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 08-01-2011-चौवन-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में तहसील मुख्यालयों पर छात्रावास न होने के कारण पोस्टमैट्रिक स्तर के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 से पिछड़ा वर्ग संशोधित छात्रगृह योजना नियम, 2011-12 लागू करने तथा योजना को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छात्रगृह योजना का स्वरूप :—

1. यह योजना पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में होगी.
2. योजना मध्यप्रदेश के पिछड़े वर्ग के पोस्टमैट्रिक विद्यार्थियों के लिए लागू होगी.
3. योजना की पात्रता के लिए विद्यार्थी को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए शासन द्वारा निर्धारित पात्रताधारक होना आवश्यक होगा.
4. विभागीय छात्रावासों में स्थान रिक्त न होने की स्थिति में ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
5. यह योजना संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालों पर लागू होगी.
6. छात्रगृह योजना अन्तर्गत कम से कम 05 या उससे अधिक विद्यार्थियों को किराये के भवन में रहने पर लाभ प्राप्त होगा.
7. भवन किराये का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा न किया जाकर भवन मालिक को अनुबंध के अनुसार एक अधिकतम निर्धारित किराया दिया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा :—
   (1) तहसील मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 3000/- प्रतिमाह प्रति छात्रगृह.
   (2) जिला मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 4000/- प्रतिमाह प्रति छात्रगृह.
   (3) संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम रुपये 5000/- प्रतिमाह प्रति छात्रगृह.

   इससे अधिक किराया होने पर छात्रों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा.

8. जब तक नियमों में अतिरिक्त प्रावधान न किया जाय, तब तक प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर 02 छात्रगृह, जिला मुख्यालयों पर 05 छात्रगृह एवं संभागीय मुख्यालयों पर अधिकतम 10 छात्रगृह से अधिक स्थापित नहीं होंगे.

9. भवन किराये हेतु अनुबंध मकान मालिक एवं विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं छात्रों के बीच त्रिस्तरीय सम्पादित होगा. अनुबंध सम्पादित करने के पूर्व विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा भवन का निरीक्षण मण्डल संयोजक, स्थानीय संस्था के प्राचार्य अथवा नजदीकी छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से कराया जायेगा. जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम किराया भुगतान करने के औचित्य से संतुष्ट होना अनिवार्य है.

10. यदि कोई छात्र शिक्षा-सत्र के मध्य में छात्रगृह छोड़ता है तो छात्रगृह में उक्त छात्र पर व्यय की गई अनुपातिक राशि संबंधित छात्र से वसूली योग्य होगी.

11. भवन के विद्युत व्यय की राशि विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अनुपातिक रूप से वहन की जायेगी. पेयजल सुविधा का दायित्व मकान मालिक का होगा.

12. एस.डी.एम. एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय निरीक्षण किया जायेगा तथा छात्रों को प्राप्त सुविधाएं एवं किराये की भुगतान की राशि के संबंध में समाधान किया जाएगा. कोई गलती पाये जाने पर तत्काल उचित कार्यवाही की जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा समझौता रद्द भी किया जा सकेगा.

13. 05 विद्यार्थियों के मान से भवन में निम्नानुसार जगह एवं सुविधाएं होना चाहिए :—

    अ. न्यूनतम पक्के 02 कमरे क्षेत्रफल 600 वर्गफीट.

    ब. पक्का शौचालय, बाथरूम, किचन.

    स. समुचित पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था.

    द. छात्र संख्या 05 से अधिक होने पर प्रति छात्र 120 वर्गफीट अतिरिक्त जगह उपलब्ध हो.

14. निर्धारित सीमा तक किराये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति जिला संयोजक/सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, विभाग द्वारा की जावेगी. किराये के निर्धारण के लिए पृथक से किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी. मकान मालिक को किराया जिला संयोजक/ सहायक आयुक्त द्वारा छात्रगृह का निरीक्षण करने के उपरांत चैक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 3-115-2011-बत्तीस-**संशोधन.**—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 सितम्बर 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17 क(1) के अन्तर्गत भेड़ाघाट विकास योजना हेतु समिति का गठन किया गया था. उक्त आदेश की कण्डिका ''छ'' में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमांक 7 एवं 8 पर क्रमशः सरपंच, ग्राम पंचायत, खुलरी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, ललपुर को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

फा. क्र. 1 (बी)-41-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार मिश्र पुत्र श्री जयगोपाल मिश्र, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सतना सत्र खण्ड के राजस्व जिले सतना की तहसील नागौद के लिये अति. लोक अभियोजक, नागौद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

फा. क्र. 1 (अ)-3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन श्री विशाल मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत त्याग-पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2011 के आधार पर उनका शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर के पद से त्याग-पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2011 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-13-12-11-अ-ग्यारह.—बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 9 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 अक्टूबर, 2011 से 7 जनवरी 2012 तक तीन माह के लिये छूट देता है:—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर नियम, 1669 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रफीक खान, उपसचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्र. एफ-2-06-2006-तेरह.—श्री के. के. गर्ग, सदस्य (अभियांत्रिकी), मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर 2011 को 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा, उन्हें विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 89 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अधीन, दिनांक 10 दिसम्बर 2011 को अपरान्ह से सदस्य (अभियांत्रिकी), मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पद से कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. दुबे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 3-97-2011-बत्तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संशोधन 1996) की धारा 17क(1) के अन्तर्गत विदिशा विकास योजना हेतु जिला योजना समिति आदेश क्रमांक 332, दिनांक 21 जनवरी 2000 द्वारा पूर्व में गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17क(2) के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17-क(1) की उपधारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, (जिला विदिशा)	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, विदिशा	सदस्य
(ग)	सांसद	लोक सभा क्षेत्र, विदिशा	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(घ)	विधायक	विधान सभा क्षेत्र, विदिशा (जिला विदिशा)	सदस्य
(ङ)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, विदिशा (जिला विदिशा)	सदस्य
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, मिर्जापुर (ग्राम मिर्जापुर, बराखेड़ा, सौराई)	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, कराखेड़ी (ग्राम कराखेड़ी, रूसल्ला मदनखेड़ी)	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, चिडौरिया (चिडौरिया, गुरारिया)	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, सौठिया (ग्राम सोठिया, पठारी, गेहूंखेड़ी, मुरवारा)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, पठारी हवेली (ग्राम पठारी हवेली, तरावली)	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, डावर (ग्राम डावर, धांरूखेड़ी, हस्नावाद)	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, पांझ (ग्राम पांझ, धतूरिया)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, परसौरा हवेली (ग्राम परसौरा हवेली, भोरिया, परासी टुण्डरा)	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, टीलाखेड़ी (ग्राम टीलाखेड़ी)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, करैया हवेली (ग्राम करैया हवेली, सुआखेड़ी, आमखेड़ा हवेली, पडरियामाफी, रंगई, बरखेड़ीविरसा).	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, तमौरिया (तमौरिया)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, हांसुआ (ग्राम हांसुआ, धुडियाखेडी)	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, सुनपुरा (ग्राम सुनपुरा, विधन)	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, बैस (ग्राम बैस, उदयगिरी, अमाछार)	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, जीवाजीपुर (ग्राम जीवाजीपुर)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुआंखेड़ी (कुआंखेड़ी)	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, ढोलखेड़ी (ग्राम ढोलखेड़ी)	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, मूडारा हरीसिंह (ग्राम मूडारा हरीसिंह)	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला विदिशा	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विदिशा	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, विदिशा	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	जिला वनमण्डल अधिकारी, जिला मण्डल कार्यालय, विदिशा	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल-सीहोर.	समिति संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. ए. 3-16-2011-1-पांच(80)-**शुद्धि-पत्र**.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-16-2011-1-पांच(24), दिनांक 1 अप्रैल 2011 का, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 1 अप्रैल 2011 में प्रकाशित हुई है, निम्नानुसार शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जाता है :—

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द अंक तथा कोष्ठक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा कोष्ठक आए हैं (2)		शुद्ध शब्द अंक तथा कोष्ठक जो पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
अधिनियम 2011 (क्रमांक . . . .सन् 2011)	414(33)	3	अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011)
अधिनियम 2011 (क्रमांक . . . .सन् 2011)	414(33)	3	अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011)
Adhiniyam, 2011 (No. . . . . of 2011)		4	Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011)
Adhiniyam, 2011 (No. . . . . of 2011)		13	Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011)

क्र. एफ. ए. 3-02-2011-1-पांच(81)-**शुद्धि-पत्र**.—"मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 6 सितम्बर सन् 2011 में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) के अधीन प्रकाशित वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. (ए) 3-2-2011-1-पांच(64), दिनांक 6 सितम्बर 2011 में, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित उन शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबद्ध पृविष्टियों में दिए गए शब्द तथा कोष्ठक पढ़े जाएं :—

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द तथा कोष्ठक (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, तथा कोष्ठक आए हैं (2)		शुद्ध शब्द तथा कोष्ठक जो कि पढ़े जाएं (3)
	पृष्ठ	पंक्ति	
क्राशिंग	832	17	क्रशिंग
(रोटोथेवियर	832	19	(रोटोग्रेवियर
सिरों को	832(1)	13	सिरों के
उत्पादों	832(1)	23	उपोत्पादों
सितम्बर	832(2)	25	दिसम्बर
सितम्बर	832(2)	27	दिसम्बर
Adible	832(3)	18	edible
and	832(5)	5	an
there	832(5)	29	other
industry or	832(5)	34	industry
technology/industries	832(5)	35	technology industry/
based in			industries based in

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, राजगढ़, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 21/30 नवम्बर 2011

क्र. ब.श्र.प्र.समा.-सर्त.समि.-जिश्रा-2011-1058.—बंधक श्रम प्रथा समाप्ति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) के तहत जिला राजगढ़ में जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का एतद्द्वारा पुनर्गठन किया जाता है :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, राजगढ़, जिला-राजगढ़ के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नानुसार हैं :—

13(2)(क)	कलेक्टर, राजगढ़	अध्यक्ष
13(2)(ख)	1. श्री गोतम टेटवाल, विधायक, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
	2. श्रीमति सुमित्रा भिलाला, नि. उदनखेड़ी, तह. सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (अ.ज.जा.)	सदस्य
	3. श्री गोपाल खत्री, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(2)(ग)	1. श्री वृज चौरसिया सामाजिक कार्यकर्ता, राजगढ़	सदस्य
	2. श्री गिरीराज धरण शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, तह. व जिला राजगढ़	सदस्य
13(2)(घ)	1. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़	सदस्य
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़	सदस्य
	3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, राजगढ़	सदस्य
13(2)(ङ)	1. प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, राजगढ़	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, राजगढ़, जिला राजगढ़

13(3)(क)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़	अध्यक्ष
13(3)(ख)	1. श्रीमति लीलाबाई ठेकेदार, राजगढ़	सदस्य
	2. श्री पप्पू मकवाना वाल्मीकी नगर कालाखेत, तह. जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
13(3)(ग)	1. श्री एच.बी. व्यास, अभिभाषक, राजगढ़	सदस्य
	2. श्री राजेश, डाबी सेवानिवृत्त (न्याया विभाग) राजगढ़	सदस्य
	3. श्रीमति शकुन्तला विजयवर्गीय पति राजेन्द्र विजयवर्गीय जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, राजगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. विकासखण्ड अधिकारी, राजगढ़	सदस्य
	3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बालविकास, राजगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य

13(3)(ङ)	1. प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, राजगढ़	सदस्य
13(3)(च)	1. तहसीलदार, राजगढ़	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, ब्यावरा, जिला-राजगढ़

13(3)(क)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा	अध्यक्ष
13(3)(ख)	1. श्री भोलाराम/श्री किशोरीलाल सिलावट, निवासी सुठालिया ब्यावरा (अ.जा.)	सदस्य
	2. श्रीमति वादाम वाइ पति श्री हरिसिंह. . . . . ब्यावरा, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
	3. श्री रामचरण/मानसिंह, नि. आगर जामन का पुरा, ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ग)	1. श्री डॉ. श्री कैलाश चन्द मिश्र (नगर सुधार समिति अध्यक्ष ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. श्रीमति उमा देवी शर्मा निवासी, इन्दौर नाका जूना ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(घ)	1. तहसीलदार, ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. विकासखण्ड अधिकारी, ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. थाना प्रभारी, ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ङ)	1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, ब्यावरा, जिला-राजगढ़	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, खिलचीपुर, जिला राजगढ़

13(3)(क)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	अध्यक्ष
13(3)(ख)	1. श्री भेरूलाल, जनपद सदस्य पीपल्याकुल्मी, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. श्री नीरज जावा, नि. खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. श्रीमति बसंती बाई मालवीय, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ग)	1. श्री बद्रीनारायण आचार्य जीरापुर, तह. खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. श्री महेन्द्र सिंह अभिभाषक, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
13(3)(घ)	1. तहसीलदार, खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.प. खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन (पंचा. निरी.) खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ङ)	1. शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. खिलचीपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(च)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. जीरापुर, जिला-राजगढ़	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़

13(3)(क)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	अध्यक्ष
13(3)(ख)	1. श्री अर्जुन भोले मो. बगूची नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
	2. श्रीमति ज्योति वर्मा पति मोहन लाल वर्मा कुरावर नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
	3. श्री मांगीलाल भिलाला, नि. ग्राम सूकल्या नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़ (अ.ज.जा.)	सदस्य
13(3)(ग)	1. श्री संजय/प्रेमनारायण विजयवर्गीय शिक्षक कालोनी, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. श्री द्वारकाप्रसाद सोनी, नि. बोडा, तह. नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(घ)	1. तहसीलदार, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. थाना प्रभारी, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. विकासखण्ड अधिकारी, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ङ)	1. शाखा प्रबंधक अग्रणी बैंक ऑफ इंडिया, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(च)	1. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बालविकास, नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, सारंगपुर, जिला-राजगढ़

13(3)(क)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगपुर, जिला-राजगढ़	अध्यक्ष
13(3)(ख)	1. श्री गोतम टेटवाल विधायक, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
	2. श्रीमति कमला बाई जाटव, नि. शिवनगर, सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. श्री महेश अहिरवार, पार्षद वार्ड नं. 2, सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(ग)	1. श्री गोकुल डण्डवानी पाडल्या रोड, सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. श्री मनोज जैन भल्ला कालोनी, सारंगपुर, जिला-राजगढ़ (अ.जा.)	सदस्य
13(3)(घ)	1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं. सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	2. पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन (पंचा. निरी.) सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
	3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सारंगपुर, राजगढ़	सदस्य
13(3)(ङ)	1. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य
13(3)(च)	1. तहसीलदार, सारंगपुर, जिला-राजगढ़	सदस्य

एम. बी. ओझा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-154-10-तीन-2019.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत सॉवेर, जिला इन्दौर** के आम निर्वाचन में **श्री राधेश्याम कबाड़ी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री राधेश्याम कबाड़ी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **इन्दौर** के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री राधेश्याम कबाड़ी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री राधेश्याम कबाड़ी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से दिनांक 4 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री राधेश्याम कबाड़ी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री राधेश्याम कबाड़ी** को नोटिस दिनांक 4 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 19 मई 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा लेख किया है कि-जिला कार्यालय के पत्र द्वारा तहसीलदार के माध्यम से सूचना पत्र की तामीली की गई थी. संबंधित द्वारा पालन नहीं करने पर . . . पुनः अनुविभागीय अधिकारी, सॉवेर के माध्यम से भी कार्यवाही की तथा निर्वाचन व्यय लेखा भेजे जाने बाबत् संबंधित से प्रयास किया गया. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रयास किये जाने के उपरांत भी संबंधित द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री राधेश्याम कबाड़ी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्री राधेश्याम कबाड़ी** को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा तहसीलदार सॉवेर के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 17 अगस्त 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री राधेश्याम कबाड़ी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री राधेश्याम कबाड़ी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **सॉवेर** जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुभाष जैन)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

आदेश

क्र. एफ.-67-154-10-तीन-2020.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत सॉवेर, जिला इन्दौर** के आम निर्वाचन में **श्री शफी खां मंसूरी** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर पंचायत के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, **श्री शफी खां मंसूरी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, **इन्दौर** के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री शफी खां मंसूरी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री शफी खां मंसूरी** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 को जारी कर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर के माध्यम से दिनांक 5 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्री शफी खां मंसूरी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्री शफी खां मंसूरी** को नोटिस दिनांक 5 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 मई 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2011 के द्वारा लेख किया है कि—उनके जिला कार्यालय के पत्र द्वारा तहसीलदार के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली की गई थी. संबंधित द्वारा पालन नहीं करने पर . . . पुनः अनुविभागीय अधिकारी, सॉवेर के माध्यम से भी कार्यवाही की तथा निर्वाचन व्यय लेखा भेजे जाने बाबत् संबंधित से प्रयास किया गया. अनुविभआगीय अधिकारी द्वारा प्रयास किये जाने के उपरांत भी संबंधित द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 5 सितम्बर, 2011 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **श्री शफी खां मंसूरी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्री शफी खां मंसूरी** को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर द्वारा तहसीलदार सॉवेर के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 17 अगस्त 2011 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्री शफी खां मंसूरी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह

समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री शफी खां मंसूरी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, **सॉवेर** जिला इन्दौर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(सुभाष जैन)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 1-2-2010-रास-यूए-1-1594.—प्रो. पी. के. मिश्रा, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, द्वारा दिनांक 6 दिसम्बर 2011 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 14 की उपधारा (6) के प्रावधानांतर्गत मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर एतद्द्वारा प्रो. राजकमल, रेक्टर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्य सम्पादित करने के लिए नाम-निर्देशित करता हूं.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल दिनांक 8 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 1-1-11-रास-यू.ए-1-1598.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महामहिम कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

1.	प्रो. वाई.सी. सिम्हाद्री, डायरेक्टर, इन्सटीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्ट्री स्टडीज, नई दिल्ली-110001.	समिति के चेयरमेन.	कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित.
2.	प्रो. पी. बी. शर्मा, कुलपति, दिल्ली टेक्नालॉजीकल यूनिवर्सिटी, बावना रोड, शाहबाद, दौलतपुर, दिल्ली-110042.	समिति के सदस्य.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मनोनीत.
3.	श्री सत्येन्द्र पाठक, 14, नेपीयर टाउन, जबलपुर.	समिति के सदस्य.	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.

2. महामहिम कुलाधिपति के द्वारा प्रो. वाई. सी. सिम्हाद्री को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के आदेशानुसार,
जे. एन. मालपानी, राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

रा. प्र. क्र.-03-अ-82-2011-12-भू.अ.अ..—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बहोरीबंद	जुझारी	1.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग कटनी.	जुझारी कल्हैया जलाशय नहर निर्माण हेतु.
		कैमोरी	1.29		
		कुल :	2.54		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, बहोरीबंद जिला कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

प्र. क्र.-अ-82-भू-अर्जन-11-12-2806.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा म.प्र.	कुरवाई	बोथीघाट	3.503	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई.	लायरा-खिरिया मार्ग का निर्माण.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्र. 1723-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	पुतला	3.970	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.	रतनपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 1727-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	गुजारी	0.360	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	गुजारी नम्बर-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1728-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	डोमवाड़ा बुजुर्ग	2.974	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	डोमवाड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 1746-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	धूलकोट	11.669	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.	खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

भू-अर्जन प्र.क्र. एफ-10 पत्र क्र. 414-भू-अर्जन-01-**संशोधित**.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कन्हवारा	0.896	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा., संभाग क्र. 7, सतना.	बरगी नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 2087-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	दुवरा	2.592	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2089-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पटना	6.768	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र.2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2091-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	टटिहरा	8.064	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र.2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2093-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महगना	6.000	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2095-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	तमहा	5.088	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2097-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि

उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चुलियान	कुइंयां (93)	6.336	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं.क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत तिवरिगंवा वितरक नहर का निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 8693-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-अंवरिया ब. नं. 02 प.ह.नं.-49 रा.नि.मं.-चांद	रकबा 03.150 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8694-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-फुटेरा ब. नं.-182 प. ह. नं.-29 रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 02.108 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8695-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-सीताझिर ब. नं.-292 प. ह. नं.-49 रा. नि. मं.-चांद.	रकबा 44.508 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8696-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-सिमरिया कलां ब. नं.-284 प. ह. नं.-28 रा. नि. मं.- चौरई.	रकबा 17.337 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत डूब क्षेत्र के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8697-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हरदुआमाल ब. नं.-303 प. ह. नं.-29 रा. नि. मं.-चौरई.	रकबा 36.975 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8698-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हिर्री ब. नं.-312 प. ह. नं.-50 रा. नि. मं.-चांद.	रकबा 02.187 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.	सीताझिर जलाशय योजना के अतंर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8699-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-सेजा ब. नं.-298 प. ह. नं.-48 रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 01.725 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश.	सेजा पेठदेवरी मार्ग में ठेल पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8700-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-सायरा ब. नं.-378 प. ह. नं.-36/7 रा. नि. मं.-सौसर.	रकबा 0.436 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश.	बेरडी सायरा परतापुर मार्ग में कन्हान पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8701-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	अमरवाड़ा	ग्राम-बोरीमाल ब. नं.-214 प. ह. नं.-49 रा. नि. मं.-अमरवाड़ा.	रकबा 0.990 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश.	सेजा पेठदेवरी मार्ग में ठेल पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 8702-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-परतापुर ब. नं.-225 प. ह. नं.-36/7 रा. नि. मं.-सौसर.	रकबा 0.542 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, सिवनी, मध्यप्रदेश.	बेरडी सायरा परतापुर मार्ग में कन्हान पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्र. क्र.-1 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8829.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	देहगुड़	16.665	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-2 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8831.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	धारणी	49.925	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र.-3 अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-8830.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम(1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	आमाडोह	9.034	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	देहगुड़ जलाशय बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्र. क. प्र. भू.-अर्जन-अ-82-वर्ष 11-12-9978.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	डुगासरा	07	0.63	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड, सागर.	सिदगुवा जलप्रदाय योजना.
			योग :	0.63		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये.—सिदगुवा जल प्रदाय योजना अन्तर्गत कार्य हेतु आवश्यकता है. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 21 नवम्बर 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-351.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—कछालिया, कण्डारी, सियाखेड़ी

भूमि सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में) (2)
ग्राम—कछालिया	
39/1	0.09
39/2	0.08
40	0.07
41	0.03
46/2	0.01
49/2	0.12
50	0.11
69	0.06
53	0.05
55	0.02
56	0.10
62	0.01
63	0.10
73	0.06
64	0.02
68	0.10
72	0.02
227	0.07
74	0.06
120	0.20
123	0.12
128/1	0.08
228	0.08
229	0.10
230	0.21
231	0.08
246	0.06
योग :	2.11
ग्राम—कण्डारी	
8	0.06
9	0.10
17/1	0.10
17/2	0.10
61	0.01
62	0.01
योग :	0.38
ग्राम—सियाखेड़ी	
28	0.16
32	0.08
94	0.04
130	0.08
96	0.10
103	0.01
104	0.14
105	0.02
131/2	0.20
132	0.19
123	0.03
133/1	0.05
133/2	0.05
120	0.02
122	0.10
योग :	1.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछालिया तालाब योजना की नहर के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2011

रा. प्र. क्र. 03 अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—बुरहानपुर
(ग) ग्राम—मोहद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—68.05 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
917	1.31
918	0.81
1021	1.07
1053	1.73
1057	1.24
1028/1	1.09
1028/2	0.80
1029/1	0.40
1029/2	2.22
1030/1	1.20
1030/2	1.43
1033/1/4	3.16
1033/2	0.81
1033/3	0.81
1035/1	0.80
1035/2	0.80
1035/3	0.84
1037	1.71
1038	0.76
1039	0.44
1044	2.08
1041	0.80
1043	3.36
1077	0.81
1047	3.26
1063/1	0.94
1063/2	0.94
1063/3	0.93
1063/4	0.93
1064	4.96
1066	1.20
1067	3.95
1068	4.59
1071	3.74
1074	0.79
1075	1.53
1076/1	0.40
1076/2	0.65
1076/3	0.60
1076/4	0.64
1976/5	0.60
1078	1.02
824	0.07
825	0.28
826	0.19
830	0.16
833/1	0.13
832	0.11
833/2	0.09
833/3	0.20
834	0.35
885	0.04
886	0.13
888	0.09
889/1	0.11
890/1	0.03
891/1	0.07
892	0.14
893/1	0.14
893/2	0.04
896	0.29
895	0.23
899	0.75
902	0.29
903	0.26
904	0.27
913	0.12

(1)	(2)
914	0.78
933/1	0.54
योग :	68.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मोतियादेव तालाब के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 25 नवम्बर 2011

नस्ति प्र. क्र.-87-2011-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 49-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—जलकुँआ
(घ) अर्जनीय रकबा—0.05 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
190/3	0.01	निरंक
190/5	0.01	निरंक
253/2	0.03	निरंक
योग	0.05	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग खण्डवा (ग्रामीण)/कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ति प्र. क्र.-88-2011-एलए-भू-अर्जन-प्र. क्र. 50-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—बिजौरामाफी
(घ) अर्जनीय रकबा—0.01 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हे. में.)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
155/1	0.01	निरंक
योग	0.01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना में 75 प्रतिशत से अधिक अधिग्रहित भूमि के भूमिस्वामी की सहमति से शेष भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग खण्डवा (ग्रामीण)/कार्यपालन अभियंता (सिविल)-दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. 2684-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. 38-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—सेंधवा
(ग) ग्राम—लवाणी, प.ह.नम्बर 02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.911 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	डूब भूमि का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
544/1	0.016
544/2	0.129
544/3	0.057
545/5	0.647
559/1	0.203
554	0.607
555	0.769
556 558/2	1.870
559/2	0.203
544/4	0.410
योग :	4.911

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सालीकला सिंचाई तालाब निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-ठीकरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. 691-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि का बमरहा तालाब योजना प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—86.347 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4161	4.654
4182	0.336
4183	0.154
4186	0.081
4187	3.536
4197/2	4.990
4230	2.121
4235	0.049
4236	0.170
4238	3.608
4246	0.798
4247/1	15.479
4248	3.318
4250	0.231
4252	1.323
4258	0.344
4259	0.085
4166/1/ग	0.462
4266/2/ख	0.109
4320/1	0.162
4313	0.024
4343	0.024

(1)	(2)
4357/1/क	2.334
4363/1/क/2	1.577
4372/1/ख	0.075
4372/1/ख	0.125
4374/1/1/3	0.283
4374/1/क/4	0.583
4184/1	0.817
4188/1	0.057
4190/1	0.174
4237/1	0.672
4247/2/क	0.486
4184/2	0.575
4188/2	0.125
4190/2	0.113
4240/2	0.396
4245	0.049
4249/1	0.0672
425/1	0.053
4184/4	0.571
4190/4	0.117
4237/3	0.267
4240/4	0.101
4229/1	0.611
4247/2/ख	0.485
4299/3	0.186
4189	0.983
4269	0.150
4270	0.020
4274	0.340
4279	1.052
4281	0.518
4283	0.134
4287	0.162
4190/3	0.170
4242/2/ख	0.141
4244	0.186
4249/2/ख	0.825
4251/2	0.048
4260	0.016
4199	0.112
4197/1	0.101
4198	0.967
4201	0.036
4204	0.251

(1)	(2)
4227	0.085
4231	0.053
4232	0.777
4233	0.057
4234/1	0.186
4239/2	0.033
4240/1	0.121
4242/1	0.162
4243/1	0.324
4237/2	0.401
4239/1	0.032
4253	0.073
4243/2/ख	0.166
4254	0.243
4255/2	0.182
4257/2	0.442
4184/3	0.724
4240/3	0.146
4242/2/क	0.141
4243/2/क	0.166
4249/2/क	0.324
4249/5	0.381
4262/1	1.890
4263/1/क	0.797
4263/1ख	0.797
4263/2/क	0.170
4276	4.917
4263/2/ख	0.405
4268	0.227
4284	0.125
4262/2	0.170
4271	0.194
4282/2/2	0.105
4286/2	0.267
4272	0.146
4285	0.202
4286/1	0.016
4282/2/1	0.097
4353/1/क	0.117
4355	0.040
4356/1/क	0.101
4364/1/क	1.132
4166/1/क	0.462
4363/4	0.688

(1)	(2)
4364/7	0.466
4364/8	0.263
4365	0.138
4368	0.040
4353/2	0.235
4354/1/ख	0.016
4354/2	0.016
4364/3/क	0.178
4364/4	0.688
4364/5	0.008
4353/3	0.028
4354/3	0.008
4363/1/ख	0.081
4363/3	1.397
4364/6	0.405
4363/1/क/1	0.526
4364/1/ख	1.124
4364/3/ख	0.045
4263/1ग	0.797
4359/1/क/1	0.093
4359/1/क/2	0.547
4359/2/क	0.020
4359/1/ख	0.643
4359/2/ख	0.020
4364/2	0.020
4366	0.384
4078/1/ख	0.202
4280	0.506
योग :	86.3472
कृषक भूमि :	86.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बमरहा बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 694-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—पाडर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.145 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1201	1.145
योग :	1.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्र. 698-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—नरैनी पहाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.982 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
470	0.320
472	0.575
473	0.235
476	0.454
477	0.121
478	0.825
483	0.372
471	0.506
479	0.093
474	0.061
475	0.061

(1)	(2)
648	1.295
451	0.166
652	0.085
653	0.813
योग :	5.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 699-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—सगरा कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.372 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
251/1	0.024
251	0.113
246	0.036
235	0.202
250	0.020
247	0.207
236	0.016
231/5	0.182
209/4	0.085
136/1	0.081
56/5	0.101
230	0.122
276	0.093
211	0.041
204	0.004
279/2	0.061
212	0.024
150/1क	0.016
130/3	0.028
151	0.073
131	0.008
141/1	0.141
140	0.008
208/2	0.032
56/6	0.122
67/1	0.016
141/2	0.142
56/7	0.101
208/3	0.032
56/1	0.041
231/2	0.041
278/1	0.045
56/2	0.041
231/1	0.045
278/2	0.045
56/3	0.041
231/3	0.041
278/3	0.045
152/3	0.020
130/1	0.020
124	0.008
59	0.202
72/1	0.154
66	0.041
68/1ख	0.121
68/2	0.202
139	0.085
138/2	0.008
153/1	0.081
154	0.081
137/2	0.032
137/1ख	0.032
136/2	0.081
208/1	0.053
68/3	0.202
71/1	0.093
71/2	0.157
72/2	0.073
52	0.041
योग :	4.372

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 700-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—मसुरिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.014 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
457/1	0.006
523/1	0.065
522	0.006
462	0.036
539/1	0.085
479/1	0.055
460	0.061
461	0.006
510/2	0.045
572/1	0.194
574	0.030
571	0.016
551	0.130
552	0.069
466/3	0.089
466/7	0.089
505/2	0.057
510/6	0.045
535/1	0.018
540/2	0.016
546/1	0.049
514/1	0.036
515/2	0.109
546/2	0.089
540	0.016
521	0.016
536	0.057
545/2	0.091
516	0.134
518	0.077
519	0.036
510/635	0.004
523/2	0.041
547	0.024
520	0.049
507/4	0.012
479/3	0.056
योग :	2.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 701-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—रकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.778 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
556/6	0.150
755/2	0.405
756/7	1.214
756/8	1.214
761	0.223
766	0.291

(1)	(2)
765	0.065
767	0.906
764/1/1	0.607
769/1/2	0.202
769/1/3	0.202
769/1/4	0.202
769/2/1	0.202
769/2/2	1.012
769/5	1.214
770/2	0.121
771/2	0.040
772/2	0.045
770/1	0.210
771/1	0.036
772/1	0.425
773	0.093
774	0.060
775	0.061
769/6	0.607
776/1	2.526
756/9	0.809
760/1	1.036
योग :	14.778

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 702-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—सरैहा
(घ) क्षेत्रफल—4.510 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
12	0.304
13	0.259
22	0.020
23	0.105
31	0.020
33	0.040
15	0.289
30	0.393
7	0.125
9	0.907
5	0.016
6	0.085
11	0.024
14	0.316
21	0.591
19	0.445
20	0.061
24	0.154
25	0.061
34	0.303
योग :	4.510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 703-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—हनुमना

(घ) क्षेत्रफल—0.561 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
226/1	0.049
226/2	0.049
226/3	0.052
227	0.008
226/4	0.052
230	0.053
231	0.008
232	0.053
233	0.008
228/2	0.081
229/1	0.006
224/2	0.020
234/1	0.122
योग :	0.561

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 704-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—भाठी
(घ) क्षेत्रफल—1.846 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
346	0.016
367	0.057
368	0.049
371	0.089
372	0.016
450/2	0.162
449	0.028
365/1	0.243
364/3	0.057
370/1	0.024
405/2	0.109
401	0.243
370/2	0.089
374	0.061
444	0.162
382	0.097
405/1	0.028
404	0.162
400	0.122
398/397	0.032
योग :	1.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 705-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—मुरैठा कचनार
(घ) क्षेत्रफल—2.485 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
230	0.150
241	0.158
238	0.073

(1)	(2)
239	0.113
240	0.130
250	0.227
251	0.130
358/1	0.045
301/1	0.024
302/2	0.045
297/1	0.101
330/1	0.049
297/2	0.101
330/2	0.041
296	0.041
329	0.162
290	0.021
291	0.045
324/1	0.073
325/588	0.036
325	0.036
365	0.081
328	0.073
359	0.109
331	0.061
325	0.021
योग :	2.485

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नैया नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

क्र. 706-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गंया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—अमोखर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.805 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
691	0.069
690	0.112
619	0.032
539	0.032
697	0.112
698	0.040
707	0.048
397	0.040
538	0.032
721/3	0.021
721/2	0.021
721/1	0.022
473/2	0.016
540/2	0.016
540/1	0.016
541	0.032
824/1	0.072
824/2	0.072
823	0.144
820	0.160
777/1	0.060
777/2	0.060
778	0.328
728/1	0.016
717	0.024
716/1	0.020
716/2	0.020
712/3	0.008
712/1	0.008
711/1	0.008
712/2	0.008
711/2	0.008
708	0.056
704	0.040
702	0.032
692	0.053
542	0.069
474	0.032
543/1	0.077
543/2	0.012
538	0.032

(1)	(2)
488	0.128
489	0.081
491	0.036
473/1	0.016
472/1	0.012
472/3	0.010
472/4	0.010
390/3	0.016
390/4	0.016
390/5	0.016
472/2	0.012
393/1	0.010
396/1	0.036
728/2	0.016
727	0.040
720	0.032
475/1	0.032
475/2	0.032
469/1	0.014
469/2	0.014
470	0.028
389/1	0.052
389/2	0.052
390/1	0.016
योग :	2.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 707-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—नरैनी पहाड़
(घ) क्षेत्रफल—5.215 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
645/2	0.004
645/1	0.004
300	0.018
300/2	0.069
380	0.344
303	0.392
315	0.496
326	0.112
325	0.088
327	0.088
645/4	0.002
645/5	0.002
405	0.096
490	0.048
456/2	0.005
456/3	0.005
507/2	0.020
508	0.064
519	0.064
505	0.184
511	0.040
507/1	0.020
510	0.064
384	0.048
385	0.069
357/1	0.015
356/1	0.013
379/1	0.076
354/1	0.040
360/1	0.140
360/2	0.140
313/1	0.108
313/2	0.108
313/3	0.108
313/4	0.108
312	0.152
301	0.096
323	0.200
322/1	0.108
322/2	0.108

(1)	(2)
263/1	0.220
263/2	0.220
264	0.152
358/1	0.015
386	0.024
356/2	0.020
386/2	0.024
379/2	0.076
357/2	0.015
358/2	0.015
354/2	0.040
योग :	5.215

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 708-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज
(ग) ग्राम—रकरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.954 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
210/1	0.021
301/1	0.036
301/1/1	0.036
209/1	0.004
209/115	0.010
302/1	0.044
302/1/1	0.044
210/1/2	0.036
301/5	0.010
301/12	0.010
210/5	0.036
301/1/4	0.036
209/1/2	0.005
209/6	0.005
302/1/2	0.044
302/3	0.044
210/1/3	0.021
210/1/4	0.021
301/6	0.036
210/6	0.020
209/1/3	0.010
209/1/4	0.010
209/7	0.005
302/2	0.044
301/3	0.002
301/7	0.036
210/7	0.020
209/8	0.030
211	0.128
210/11	0.020
301/1/3	0.036
306/1	0.109
306/3	0.050
306/2	0.109
306/4	0.050
306/5	0.050
209/13	0.020
209/3/1	0.010
209/3/2	0.010
209/9	0.010
209/3ख	0.010
209/12	0.010
209/3/3	0.010
209/10	0.010
209/3/4	0.010
209/11	0.010
210/3	0.020
301/3	0.036
209/3	0.010
209/3क	0.010
209/5	0.020
304/2	0.160
304/1	0.160
299	0.200
योग :	1.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नन्दनपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 21-अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन-8673.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—सोपई, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.220 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
421	0.170
427	0.050
	योग : 0.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सोनोरा-सोपई मार्ग पर उदनाले पुल के पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुतलाई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु उप संभाग, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 1729-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम—रतनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.020 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
27 28/1/2 103	0.300
32/1	0.120
32/2	0.090
32/3	0.045
32/4	0.050
32/5	0.061
35/2	0.251
38 39 40/4 41 42 43/2	0.180
40/7	0.244

(1)	(2)
42/205	0.150
49/1	0.245
49/2	0.125
106	0.134
107/2, 108/2 1	0.809
107/3 108/3	0.809
108/4	0.850
108/5	0.405
110	0.194
101/1 108/1	1.639
102/215 112	0.587
113/1 114/1	1.752
113/2 114/2	1.756
133	0.220
104 105	0.426
54	0.180
131/2	0.135
101/2	1.012
102/2	0.240
101/202/2 107/1 107/216	1.619
38 39 40/2 41/1 43/1/1	0.180
101/202/1	1.061
107/2, 108/2 2	0.809
107/2, 108/2 3	1.342
योग . .	18.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रतनपुर तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 1745-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भगवानपुरा
(ग) ग्राम—चौखण्ड
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.272 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1	0.137
1/2	1.070
2/2	0.065
134/2	1.000
योग . .	2.272

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खारक जलाशय परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 1749-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भगवानपुरा

(ग) ग्राम—चौखण्ड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.108 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10	0.607
14/1	0.809
139/1	1.500
145/2	2.037
151/2	3.237
156	1.942
158/1	1.375
158/2	2.023
181/5	0.809
158/3	1.376
162/2	0.809
162/3	0.709
162/7	0.101
162/4	0.323
162/6	0.406
162/5	0.809
166/2	3.237
167/2	1.481
169/1	1.000
173	0.065
181/1	0.698
181/2	1.886
181/3	0.692
181/4	0.809
183	1.846
187/2	0.926
200	0.781
202	1.570
193	0.895
194/1	2.000
265/1	0.271
267/2	0.336
265/2	2.630
269/2	3.237
272/2	3.237
278/2	2.428
356	1.000
362/2	1.214
368	1.020
372	0.235
387/2	2.023
426	0.202
430/1	0.036
433	0.121
435	0.360
योग . .	55.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खारक जलाशय परियोजना के शीर्ष कार्य के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गरोठ, दिनांक 30 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की नावली तालाब योजना (पूरक प्रकरण) के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मंदसौर
(ख) तहसील—भानपुरा
(ग) ग्राम—नावली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—29.722 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
76	1.352	
77/2	0.324	
75	0.287	
68/1	0.584	कुआ कच्चा चालू 1
79	0.400	
78	0.900	कुआ कच्चा चालू 1
77/1	1.254	
84/2/4	0.150	
87/1	1.619	कुआ कच्चा चालू 1
87/4, 86/6	0.433	
87/2 पै., 87/7, 87/8, 68/1	0.405	
87/2, 87/4, 87/8	1.315	कुआ कच्चा चालू 1
87/2, 87/7, 87/8	1.417	कुआ कच्चा चालू 1
88/1	0.915	
88/2	1.315	
89/1	0.640	ट्यूबवेल 1
89/1	0.600	कुआ कच्चा चालू 1
90/1	1.003	कुआ कच्चा चालू 1
90/2	1.004	
125 पै. 126/2 पै., 134/2	0.631	
125 पै. 1262/2 पै.,134/2	0.631	
130/1/1/1	1.215	कुआ कच्चा चालू 1
130/1/1/1	0.259	पक्का कुआ 1, आम 1, ट्यूबवेल 1.
130/1/2	1.356	
131/1	0.600	आम 1
131/2	0.413	
132/2 पै.	0.300	
132/2 पै.	0.644	
132/1	0.300	
132/2 पै.	0.343	ट्यूबवेल 1
135/2	0.709	
136	2.100	
138	1.400	
178/3	1.691	पक्का कुंआ 1, संतरा पौधा 140.
178/1/1	0.304	कच्चा कुंआ चालू 1
178/1/3	0.303	
178/1/4	0.303	
178/1/3	0.303	
योग . .	29.722	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पिपल्या लालगंज तालाब से वेस्ट वेअर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 412-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रोयनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.317 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
207/1ख	0.010
204/13अ/1	0.387
204/13अ/2	0.021
204/1/4/1/1	0.010
204/1/4/1/2	0.010
204/4/1	0.486
204/3/4	0.105
204/3/2	0.078
203/326/2क/2ख	0.105
203/326/2क/2क	0.105
योग :	1.317

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत, टू लेन सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 413-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हरदुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.104 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/1क (1)	0.025
15/1क (2)	0.026
15/4क	0.053
योग :	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 415-भू-अर्जन-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—रनेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.528 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
21/2	0.143
31/1/2	0.094
28/2क	0.063
21/3	0.209
28/3क	0.063
31/1/3	0.084
24	0.123
19	0.240
20	0.366
योग :	1.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बी.ओ.टी. योजनांतर्गत, टू लेन सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 30 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 08-अ-82-10-11-809.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—टोंकखुर्द

(ग) ग्राम—देवली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.68 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1242	0.09
1243	0.05
1244	0.04
1247	0.04
1248	0.04
1440/2	0.13
1251/1	0.01
1251/2	0.01
1251/3	0.01
1254	0.03
1267	0.05
1268	0.09
1256	0.06
1264/2087	0.02
1257	0.03
1259	0.05
1260	0.05
1261	0.10
1262	0.03
1273	0.04
1263	0.03
1264	0.03
1265	0.07
1266	0.05
1269/1	0.04
1269/2	0.04
1269/3	0.03
1271	0.18
1272	0.16
1275	0.02
1286	0.04
1436	0.10
1432	0.12
1287	0.03
1288	0.04
1348	0.18
1350	0.01
1352/1	0.24
1363	0.15
1364	0.15
1365	0.10
1366	0.16
1362	0.06
1450	0.02
1368	0.08
1369	0.08
1371	0.14
1373	0.16
1374	0.04
1444	0.10
1446	0.10
1377	0.02
1439	0.05
1437	0.09
1378	0.06
1381	0.05
1379	0.52
1385	0.02
1438	0.31
1380	0.33

(1)	(2)
1453/1	0.15
1441/2	0.09
1447	0.10
1349	0.31
1367	0.14
1372	0.31
1442	0.12
1443	0.16
1448	0.08
1451	0.05
1435	0.11
1433	0.17
1429	0.16
1474/2	0.13
1475/1	0.10
1476	0.12
1502/2	0.30
1480	0.55
1481/2	0.44
1551	0.09
1238	0.08
1252	0.03
1503/2	0.90
1504/2	0.10
1505/2	0.16
1507	0.10
1506/2	1.33
1511	0.05
1512/1	1.20
1499/2	0.18
1255	0.03
1236	0.04
1233	0.05
1234	0.03
1237	0.04
1382	0.09
1383	0.02
1239	0.08
1242	0.09
1253/2102/3	0.01
1253/2102/1	0.06
1253	0.07
1285	0.09
योग :	13.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भैंसाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु डूब प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

प्र. क्र.-09-अ-82-10-11-817.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत,इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) ग्राम—रणायरकलां
(घ) क्षेत्रफल—11.61 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1460	0.40
1463	0.20
1464/2	0.80
1465/1	0.95
1466/1	0.17
1467/1	0.09
1413	1.06
1408	0.26
1412	0.34
1411	0.13
1007	0.11
1409	0.27
1410	0.13
1006	0.11
1406	0.30
1001	0.30
1008	0.11
1500/1	0.39
1072	0.11
968	0.03
1070/1	0.09
1070/2	0.09

(1)	(2)
1071	0.11
1064	0.20
969	0.04
1063	0.13
1067	0.03
1069	0.17
1068	0.03
1470/1	0.18
882	0.08
879	0.04
880	0.04
1062	0.05
1002	0.23
895	0.10
1005	0.07
1009	0.08
965	0.14
861	0.06
976	0.05
967	0.04
973	0.05
974	0.05
926/1	0.03
909	0.05
898/1	0.07
911/1	0.22
896	0.04
893/1	0.03
893/2	0.03
893/3	0.03
894/2	0.04
897	0.05
784	0.01
785	0.01
786	0.01
787	0.02
788	0.02
782	0.04
776	0.35
767	0.12
768	0.06
724	0.05
769	0.03
761	0.01
762	0.02
763	0.03
884	0.17
886	0.03
887	0.01
888	0.01
890	0.01
889	0.05
891	0.05
892	0.03
722	0.06
723	0.04
1405	0.05
1471/1	0.42
1003	0.07
1456	0.20
1458	0.20
1461	0.10
1073/1	0.10
1073/2	0.06
1464/1	0.04
783	0.03
1414/7	0.10
योग :	11.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भैंसाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु डूब प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 26-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—बाँसी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.75 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हैक्टर में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हैक्टर में.)
(1)	(2)	(3)
52	1.150	0.11
53	1.210	0.18
0.51	0.420	0.08
50	0.370	0.06
156	0.960	0.19
148	0.420	0.02
172	0.220	0.10
409	0.250	0.06
173	0.280	0.11
180	0.520	0.13
181	0.53	0.14
230	0.470	0.04
237	1.390	0.17
236/2	0.70	0.06
236/1	0.69	0.08
233	1.380	0.06
372	1.310	0.14
395	0.360	0.13
371/1	0.42	0.15
371/2	0.890	0.04
393	0.050	0.02
374	0.900	0.17
370	1.340	0.09
337	1.700	0.08
390	1.860	0.260
400	0.340	0.09
399	0.170	0.08
398	0.170	0.08
403/मि. 1	0.410	0.15
403/मि. 2	0.630	
407/1	0.920	0.06
407/2	0.530	
408	1.300	0.17
412	0.500	0.03
413	0.500	0.02
418	2.520	0.40
	योग . .	3.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम बांसी की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—उदलपाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हैक्टर में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हैक्टर में.)
(1)	(2)	(3)
339	1.710	0.19
342	1.850	0.17
343	0.920	0.09
344	3.960	0.40
	योग . .	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—सिंध रमौआ नहर की 1 आर मायनर के अंतर्गत ग्राम उदलपाड़ा की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी जिला ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

प्र. क्र. 07-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—रेंहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.313 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हैक्टर में.)	अर्जित रकबा (हैक्टर में.)
(1)	(2)	(3)
815	0.773	0.073
816	0.572	0.083
847	2.048	0.293
826	0.617	0.157
828	0.230	0.042
829	0.491	0.105
834/1	5.016	0.560
	योग . .	1.313

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—चराई रेंहट के मार पर नवीन तालाब एवं नहर का निर्माण हेतु ग्राम रेंहट की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—चराई रेंहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.105 हैक्टर.

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हैक्टर में.)	अर्जित रकबा (हैक्टर में.)
(1)	(2)	(3)
260	1.327	0.105
	योग . .	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—चराई रेंहट के मार पर नवीन तालाब एवं नहर का निर्माण हेतु ग्राम रेंहट की भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 8690-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—नारंगी, प.ह.नं.—15/37, ब.नं.—297, रा. नि. मंडल—सांवरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—08.447 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1	0.490
3/2	0.774
2/2	0.100
3/3	0.260

(1)	(2)
4	1.012
5/1	0.440
9/5	0.789
5/3	0.780
5/4	0.728
9/1	0.021
9/3	1.104
10/1	0.270
9/4	1.104
10/2	0.090
11	0.485
योग . .	: 08.447

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 8691-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—मोहखेड़

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम—पठरानिस्फ, प. ह. नं.—15/37, ब. नं.—311, रा. नि. मंडल—सांवरी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—27.076 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
84	0.324
157/1	0.124
144	0.105
151/1	2.430
152/1	0.247
148/1	0.180
151/2	1.740
152/2	0.411
148/2	0.563
151/3	1.578
123/1	0.364
124	0.202
122/1	0.050
122/2	0.245
122/3	0.252
122/4	0.304
122/5	0.405
136/2	0.101
119/1	0.200
123/2	0.024
126/1	0.200
125	1.149
126/2	0.906
126/3	0.437
139/1	0.218
139/2	0.376
139/3	0.502
139/4	0.190
141	0.317
142	0.320
143/2	1.448
143/3	1.169
143/1	2.780
143/4	0.615
143/5	0.090
145	0.121
150/1	0.405
150/3	2.630

(1)	(2)
150/2	0.350
150/4	1.212
153/1	0.120
153/2	0.138
159/1	0.064
157/2	0.030
163/1	0.030
164	0.016
163/2	0.024
163/3	0.030
166	0.080
180	0.072
181	0.140
182	0.048
183/1	0.032
183/2	0.010
184/1	0.028
184/2	0.020
187	0.068
188	0.200
194/1	0.068
194/2	0.084
179/2	0.120
219/1	0.160
219/2	0.100
219/3	0.110
योग . .	: 27.076

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नारंगी जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लिखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन संभाग- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 3 दिसम्बर 2011

क्र-8852-भूमि संपादन-2011-प्र. क्र.-1-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—आजंदा एवं लिखोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.05 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
ग्राम—आजन्दा	
(1)	(2)
147	0.10
148	0.07
149	0.10
112	0.13
111	0.08
110/1	0.01
110/2	0.04
153	0.12
154	0.10
155	0.05
ग्राम—लिखोदा	
69/2	0.25
कुल रकबा . .	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना अंतर्गत ग्राम लिखोदा में चामला नदी पर निर्माणाधीन आर.आर.सी. बैरेज कार्य के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमियों के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्र.-क-9998-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 32-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) ग्राम—मंजला प.ह.नं.-105
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.49 हेक्टर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
279	0.08
314/1	0.15
314/2	0.08
333	0.15
917	0.03
कुल योग :	0.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मंजला.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10002-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 33-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) ग्राम—मझगुवां प.ह.नं.-105
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.01 हेक्टर.

ख. नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
05	0.01
कुल योग :	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मंजला जलाशय के नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन ग्राम मझगुवां.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्र. 2320-प्र. क्र.-01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—उटावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.960 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1	0.235
37/1	0.480
34/2/1	0.090
34/2/2	0.120
36/2	0.020
171/2	0.020

(1)	(2)
37/3	0.305
37/2	0.250
38/1/1	0.030
38/4	0.165
38/5	0.015
38/1/2	0.030
38/2/1	0.090
38/2/19	0.130
38/2/2	0.050
38/2/3	0.025
38/2/20	0.190
167/3	0.050
167/4/1	0.145
188/1	0.280
188/4	0.050
188/7/8	0.076
188/7/12	0.060
192/4/1	0.175
167/4/2	0.074
167/5	0.170
168/1	0.060
168/2	0.380
169	0.130
188/2/1	0.071
188/7/6	0.090
192/2/3	0.185
188/7/7/1	0.062
188/2/2	0.055
188/7/9	0.090
188/7/11/1	0.077
192/2/1	0.085
188/2/3	0.051
188/7/10	0.084
192/2/2	0.160
188/3	0.265
188/7/1	0.040
188/7/5	0.060
192/1	0.030
188/7/4	0.048
192/3/1	0.084
188/7/14	0.060
192/3/2	0.084
188/7/15	0.030
192/3/3	0.085
192/4/2	0.030
216/2	0.310
216/3	0.614
245/1	0.100
225	0.164
227/1	0.310
226/2	0.065
243/1/6/1	0.152
227/2	0.245
240/1	0.185
240/2	0.200
240/3	0.240
240/4	0.185
240/5	0.260
243/1/6/2	0.280
243/1/5/1	0.189
243/1/2/1	0.020
243/1/3	0.300
243/1/4	0.020
243/1/5/2	0.190
243/1/2/2	0.015
246/1	0.050
246/2	0.020
246/3	0.010
247/2/1/2	0.120
247/2/1/3	0.190
257/2	0.260
258/1	0.205
258/3	0.065
258/4/1	0.125
258/4/2	0.205
258/5	0.565
355/2	0.115
356/2/2	0.310
356/1/1	0.400
356/2/1	0.310
357/2	0.225
357/1	0.020
योग कुल रकबा :	12.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्‌वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार, एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2314-प्र. क्र.-22-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—रणदा

(घ) क्षेत्रफल—7.490 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35/5	0.030
35/8	0.063
35/12	0.063
38/1/6	0.070
38/1/13	0.126
38/6/5	0.170
38/1/17	0.126
35/13	0.020
38/6/2	0.090
56/2	0.010
38/2	0.225
38/5	0.040
38/1/4	0.095
56/6	0.126
38/4/6	0.100
38/4/4	0.170
56/5	0.126
66/2	0.115
38/4/3	0.100
38/6/6/2	0.132
38/1/3/3	0.042
40/1/2	0.065
63/2/2	0.020
40/2/1	0.065
40/2/2	0.065
40/5	0.095
40/6	0.095
40/7	0.090
45/1	0.025
45/3	0.110
45/5	0.080
45/6	0.080
45/7	0.070
45/2/1	0.130
45/2/2	0.130
45/2/3	0.100
45/2/4	0.080
45/4/1	0.030
45/4/2	0.149
45/4/3	0.090
45/8/1	0.080
68/1	0.020
45/8/2	0.060
45/9	0.170
54/4	0.095
55/1/2	0.080
55/2	0.194
56/3	0.080
56/4	0.126
57/2/1	0.190
58/1	0.050
58/2	0.060
58/3	0.030
59/2	0.080
63/2/1	0.030
59/3	0.080
59/4	0.080
59/5	0.165
59/7	0.040
62/1	0.040
62/3	0.080
62/2	0.045
63/1	0.379
66/3	0.015
67/1	0.220
67/2	0.278
188/8/2	0.090
189/13	0.270
190/8	0.063
189/8/2	0.280
189/7	0.115
190/7	0.101
189/8/1	0.030
189/15	0.096
188/8/1	0.070
योग कुल रकबा :	7.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

क्र. 10009(क) प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—खुरई
(ग) ग्राम—निवारी
(घ) क्षेत्रफल—5.53 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
49	0.81
62	0.33
64	0.19
58	0.33
56	0.70
55	0.28
54	0.18
50	0.03
59	0.42
60	0.45
61	0.25
63	0.96
47	0.07
46	0.15
28	0.04
24/1	005
19	0.12
20	0.10
24/3	0.04
45	0.03
योग :	5.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कासिया जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्र. 12अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—दमोह
(ग) ग्राम—कोटातला, ह. नं. 19,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.30 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27/1ख	0.06
27/4	0.03
27/5	0.04
39/2	0.18
39/3	0.14
39/5	0.6
41/1क	0.01
41/1ख	0.01
41/1ग	0.05
41/1घ	0.02
41/3	0.16
योग :	1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टोलप्लाजा निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) इसमें किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानंद दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. B-2906.—श्री एस. के. साहा, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को तदर्थ रूप से, तीन माह की अवधि के लिए रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस. के रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 37,400—67,000+ग्रेड पे रुपये 8700 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की पदोन्नत किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. B-2910-दो-2-32-2006.—श्री अरविन्द कुमार शुक्ला, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-2912-दो-2-37-2006.—श्री जे. पी. गुप्ता, डायरेक्टर, जे. ओ. टी. आर. आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-2914-दो-2-52-2009.—श्री बी. एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-4953-दो-2-38-2006.—श्री वेदप्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-4955-दो-2-64-2011.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एग्जाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. E-4959-दो-2-70-2006.—श्री सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. B-2904-दो-2-26-2011.—श्री वेदप्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 दिसम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्र. 1531-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी) .— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती नीलम शुक्ला पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर.	बारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2011

क्र. 435-स्था.सैट-2011.—श्रीमती महारुख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 23 अगस्त से 20 सितम्बर 2011 तक कुल उन्तीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया गया है साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती महारुख जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती महारुख जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. अत: अवकाश अवधि दिनांक 23 अगस्त से 20 सितम्बर 2011 को मूलभूत नियम 17 के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार-कम-पी. पी. एस.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्र. 1528-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्रीमती सरोज महेन्द्र जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, इंदौर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	इंदौर	इंदौर	इंदौर	सिविल जिला, इन्दौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

क्र. 1537-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.	जबलपुर	उज्जैन	उज्जैन	सिविल जिला, उज्जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन की हैसियत से श्री गिरीश कुमार शर्मा के दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.
2.	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी	होशंगाबाद	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	सिविल जिला, छिन्दवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से श्री महेश प्रसाद अवस्थी के स्थान पर.
3	डॉ. अनिल कुमार ठाकरे द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर.	जबलपुर	शिवपुरी	शिवपुरी	सिविल जिला, शिवपुरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी की हैसियत से श्री एच. यू. अहमद के दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.

क्र. 1538-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक), दिनांक 7 मई 1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट

सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री मोहम्मद शमीम अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	भोपाल	देवास	देवास	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री अरविंद कुमार दुबे के स्थान पर.	देवास
2	श्री गौरी शंकर दुबे	इंदौर	खण्डवा	खण्डवा	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री यू. सी. जैन के, दिनांक 31-12-2011 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त रिक्त होने वाले पद पर.	खण्डवा
3	श्री दिलीप कुमार मिश्रा	बालाघाट	सीहोर	सीहोर	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त पद पर.	सीहोर
4	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा	मण्डलेश्वर	बालाघाट	बालाघाट	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दिलीप कुमार मिश्रा के स्थान पर.	बालाघाट

क्र. 1539-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानान्तरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अमिताभ मिश्र	इन्दौर	भोपाल	भोपाल	विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-1, विद्युत् अधिनियम, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 1540-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)4-2011-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 8 नवम्बर 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम (1)	वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	सत्रखण्ड का नाम (4)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)	न्यायालय में बैठने का स्थान (6)
1. श्री आशीष दीक्षित	महू	महू	इंदौर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	महू
2 श्री वाचस्पति मिश्र	सीधी	सीधी	सीधी	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	सीधी
3 श्री रामप्रताप सिंह	रीवा	रीवा	रीवा	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	रीवा
4 श्री देव नारायण (शुक्ला)	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	मंदसौर
5 श्री लखन लाल गर्ग	डबरा	डबरा	ग्वालियर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	डबरा

क्र. 1541-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)6-2011-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 14 नवम्बर 2011 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)

के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम (1)	वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	सत्रखण्ड का नाम (4)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)	न्यायालय में बैठने का स्थान (6)
1 श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया	थांदला	बड़वानी	बड़वानी	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	बड़वानी
2 श्रीमती तृप्ति शर्मा	विदिशा	कटनी	कटनी	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	कटनी
3 श्री जाकिर हुसैन	मुलताई	खरगौन	मण्डलेश्वर	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	खरगौन
4 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	खुरई	जौरा	मुरैना	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	जौरा
5 श्री संजीव कुमार अग्रवाल	टीकमगढ़	लहार	भिण्ड	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	लहार
6 श्रीमती विधि सक्सेना	देवास	नीमच	नीमच	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	नीमच
7 श्री कपिल कुमार मेहता	इंदौर	हरदा	हरदा	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	हरदा
8 श्री मोहन पी. तिवारी	भोपाल	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	छिन्दवाड़ा

क्र. 1542-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1)के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए)4-2010-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 27 सितम्बर 2011 द्वारा तदर्थ रूप से, आगामी आदेश होने तक फास्ट ट्रैक न्यायालयों में जिला न्यायाधीश के पद पर, स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये उनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया गया है, को तदर्थ रूप से अस्थाई तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के रूप में (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) पदस्थ करता है तथा कण्डिका (2) की सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी) की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ है एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के पद उपलब्ध होने तक ही प्रभावशील रहेगी.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह	दतिया	महू	इंदौर	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की हैसियत से श्री आशीष दीक्षित के स्थान पर.
2	श्री भूरेलाल प्रजापति	शिवपुरी	जावरा	रतलाम	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकड़े, रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, dated the 16th November 2011

No. B-2841-I-7-3-2011 (Part-I).—It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2012.

Summer Vacation.–From Monday 21st May to Friday 15th June, 2012

Winter Vacation.–From Monday 24th December to Monday 31st December, 2012.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Republic Day	26-1-2012	Thursday
2	Basant Panchami	28-1-2012	Saturday
3	Mahashivratri	20-2-2012	Monday

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Holi (Dhuredi)	8-3-2012	Thursday
		9-3-2012	Friday
5	Gudi-Padwa	23-3-2012	Friday
6	Ramnavmi	31-3-2012	Saturday
7	Mahaveer Jayanti	5-4-2012	Thursday
8	Good Friday	6-4-2012	Friday
9	Raksha Bandhan	2-8-2012	Thursday
10	Janmashtmi	10-8-2012	Friday
11	Independence Day	15-8-2012	Wednesday
12	Id-Ul-Fitar	20-8-2012	Monday
13	Ganesh Chaturthi	19-9-2012	Wednesday
14	Gandhi Jayanti	2-10-2012	Tuesday
15	Sarvapitramoksha Amavasya	15-10-2012	Monday
16	Dussehra (24-10-2012)		
	Mahaashtmi	22-10-2012	Monday
	Mahanavmi	23-10-2012	Tuesday
		24-10-2012	Wednesday
		25-10-2012	Thursday
		26-10-2012	Friday
17	Id-Ul-Zuha	27-10-2012	Saturday
18	Deepawali (13-11-2012)	12-11-2012	Monday
		13-11-2012	Tuesday
		14-11-2012	Wednesday
		15-11-2012	Thursday
		16-11-2012	Friday
19	Gurunanak Jayanti	28-11-2012	Wednesday
20	Christmas Day	25-12-2012	Tuesday

TOTAL :—29 Days

NOTES :—

1. New Year's day dated 1-1-2012, Makar Sankranti dated 15-1-2012, Id-Milad Un-Nabi dated 5-2-2012, Buddh Purnima dated 6-5-2012, Moharrum dated 25-11-2012 falls on sundary & Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14-4-2012, falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 14th & 21st January, 11th & 18th February, 10th & 17th March, 14th & 21st, April, 12th & 19th May, 9th & 16th, June, 14th & 21st July, 11th & 18th August, 8th & 15th September, 13th & 20th October, 10th & 17th November, 8th & 15th December will be closed Saturdays of High Court.

3. Summer Vacation of High Court shall be from 21st May 2012 to 15th June, 2012 and Winter Vacation from 24th December 2012 to 31st December, 2012.

4. Rang Panchmi dt. 12-03-2012 shall be a holiday only for Bench Indore & 25th February Shall be Court working Saturday in lieu thereof for Bench Indore.

By order of the High Court,
SUBHASH KAKADE, Registrar General.

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR FOR THE YEAR 2012

Days	JANUARY					FEBRUARY					MARCH				
SUN.	1	8	15	22	29		5	12	19	26		4	11	18	25
MON.	2	9	16	23	30		6	13	20	27		5	12	19	26
TUE.	3	10	17	24	31		7	14	21	28		6	13	20	27
WED.	4	11	18	25		1	8	15	22	29		7	14	21	28
THU.	5	12	19	26		2	9	16	23		1	8	15	22	29
FRI.	6	13	20	27		3	10	17	24		2	9	16	23	30
SAT.	7	14	21	28		4	11	18	25		3	10	17	24	31

Days	APRIL					MAY					JUNE				
SUN.	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24
MON.	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25
TUE.	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26
WED.	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27
THU.	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28
FRI.	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29
SAT.	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30

Days	JULY					AUGUST					SEPTEMBER				
SUN.	1	8	15	22	29		5	12	19	26	30	2	9	16	23
MON.	2	9	16	23	30		6	13	20	27		3	10	17	24
TUE.	3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25
WED.	4	11	18	25		1	8	15	22	29		5	12	19	26
THU.	5	12	19	26		2	9	16	23	30		6	13	20	27
FRI.	6	13	20	27		3	10	17	24	31		7	14	21	28
SAT.	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29

Days	OCTOBER					NOVEMBER					DECEMBER				
SUN.		7	14	21	28		4	11	18	25	30	2	9	16	23
MON.	1	8	15	22	29		5	12	19	26	31	3	10	17	24
TUE.	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25
WED.	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26
THU.	4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27
FRI.	5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28
SAT.	6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29

Sundays & Holidays
Closed Saturday for Registry
Vacation
Rang Panchmi only for Indore Bench
Working Saturday only for Indore Bench

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2012

Sr. No. (1)	Name of Holidays (2)	Dates as per Gregorian Calendar (3)	Days of Week (4)
1	Republic Day	26-1-2012	Thursday
2	Mahashivratri	20-2-2012	Monday
3	Holi (Dhuredi)	8-3-2012	Thursday
4	Gudi-Padwa	23-3-2012	Friday
5	Ramnavmi	31-3-2012	Saturday
6	Mahaveer Jayanti	5-4-2012	Thursday
7	Good Friday	6-4-2012	Friday
8	Raksha Bandhan	2-8-2012	Thursday
9	Janmashtmi	10-8-2012	Friday
10	Independence Day	15-8-2012	Wednesday
11	Id-Ul-Fitar	20-8-2012	Monday
12	Ganesh Chaturthi	19-9-2012	Wednesday
13	Gandhi Jayanti	2-10-2012	Tuesday
14	Sarvapitramoksha Amavasya	15-10-2012	Monday
15	Dussehra (24-10-2012)		
	Mahaashtmi	22-10-2012	Monday
	Mahanavmi	23-10-2012	Tuesday
		24-10-2012	Wednesday
		25-10-2012	Thursday
		26-10-2012	Friday
16	Id-Ul-Zuha	27-10-2012	Saturday
17	Deepawali (13-11-2012)	12-11-2012	Monday
		13-11-2012	Tuesday
		14-11-2012	Wednesday
		15-11-2012	Thursday
18	Gurunanak Jayanti	28-11-2012	Wednesday
19	Christmas Day	25-12-2012	Tuesday

TOTAL :—26 Days

NOTES :—

1. Makar Sankranti dated 15-1-2012, Id-Milad Un-Nabi dated 5-2-2012, Buddh Purnima dated 6-5-2012, Moharrum dated 25-11-2012 falls on sunday & Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi dated 14-4-2012, falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 14th January, 11th February, 10th March, 14th April, 12th May, 9th June, 14th July, 11th August, 8th September, 13th October, 10th November, 8th December will be closed Saturdays for Subordinate Courts.
3. Summer Vacation of Subordinate Courts shall be from 21st May 2012 to 15th June, 2012 and Winter Vacation from 24th December 2012 to 31st December, 2012.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three local holidays declared by the Collector/ Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B-2380-III-6-8-85 Pt-II dt. 26-5-2010.

SUBHASH KAKADE, Registrar General.

TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2012

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH
SUN.	(1) (8) (15) (22) (29)	(5) (12) (19) (26)	(4) (11) (18) (25)
MON.	2 9 16 23 30	6 13 (20) 27	5 12 19 26
TUE.	3 10 17 24 31	7 14 21 28	6 13 20 27
WED.	4 11 18 25	1 8 15 22 29	7 14 21 28
THU.	5 12 19 (26)	2 9 16 23	1 (8) 15 22 29
FRI.	6 13 20 27	3 10 17 24	2 9 16 (23) 30
SAT.	7 /14\ 21 28	4 /11\ 18 25	3 /10\ 17 24 (31)

Days	APRIL	MAY	JUNE
SUN.	(1) (8) (15) (22) (29)	(6) (13) (20) (27)	(3) (10) (17) (24)
MON.	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
TUE.	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
WED.	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
THU.	(5) 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
FRI.	(6) 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
SAT.	7 /14\ 21 28	5 /12\ 19 26	2 /9\ 16 23 30

Days	JULY	AUGUST	SEPTEMBER
SUN.	(1) (8) (15) (22) (29)	(5) (12) (19) (26)	(30) (2) (9) (16) (23)
MON.	2 9 16 23 30	6 13 (20) 27	3 10 17 24
TUE.	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25
WED.	4 11 18 25	1 8 (15) 22 29	5 12 (19) 26
THU.	5 12 19 26	(2) 9 16 23 30	6 13 20 27
FRI.	6 13 20 27	3 (10) 17 24 31	7 14 21 28
SAT.	7 /14\ 21 28	4 /11\ 18 25	1 /8\ 15 22 29

Days	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
SUN.	(7) (14) (21) (28)	(4) (11) (18) (25)	(30) (2) (9) (16) (23)
MON.	1 8 (15) (22) 29	5 (12) 19 26	31 3 10 17 24
TUE.	(2) 9 16 (23) 30	6 (13) 20 27	4 11 18 (25)
WED.	3 10 17 (24) 31	7 (14) 21 (28)	5 12 19 26
THU.	4 11 18 (25)	1 8 (15) 22 29	6 13 20 27
FRI.	5 12 19 (26)	2 9 16 23 30	7 14 21 28
SAT.	6 /13\ 20 (27)	3 /10\ 17 24	1 /8\ 15 22 29

(○) Sundays & Holidays
△ Closed Saturday for Registry
⌐¬ Vacation